UPME010031452026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-01, मेरठ।
उपस्थित :- मोहम्मद असलम सिद्धीकी (एस०जे०एस०)
(JO Code NO. UP- 6209)
फौजदारी विविध वाद सं०- 257 सन् 2026

राहुल उर्फ काला उर्फ पिन्टू पुत्र मुन्नालाल निवासी सलेमपुर अलीराजा थाना देहात कोतवाली, सीतापुर।

... ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य ... ...विपक्षी

धारा - 399, 402, 411, 414 भा०द०स०
व धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम
थाना - परीक्षितगढ़ जिला मेरठ
मु०अ०सं० 55 सन् 2023
सत्र परीक्षण संख्या-580/2023

16.03.2026

1- प्रस्तुत फौजदारी विविध प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की द्वितीय जमानत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.० 8.2025 के माध्यम से स्वीकार करते हुए प्रार्थी अभियुक्त राहुल उर्फ काला पिन्टू पुत्र मुन्नालाल को अंकन पचास-पचास हजार रूपये के 02 स्थानीय जमानती सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था। आवेदक अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन कागज संख्या 3 ख के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि आवेदक ग्राम सलेमपुर अली रजा थाना देहात कोतवाली जनपद सीतापुर का मूल निवासी है एवं जनपद मेरठ में उसका कोई परिचित अथवा रिश्तेदार निवास नही करता है तथा न ही वह किसी को जानता है जिस कारण वह जनपद मेरठ के स्थानीय जमानती की व्यवस्था करने में असमर्थ है। आवेदन 3 ख के माध्यम से अनुरोध किया गया है प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आदेश दिनांकित 02.08.2025 में इस न्यायालय द्वारा जमानत आदेश में स्थानीय जमानती की शर्त को शिथिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- आवेदक अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन कागज संख्या 3 ख के परिशीलन से विदित है कि आवेदक द्वारा 02 प्रतिभू अंकन पंचास हजार रूपये क्रमशः जमानती विजय पुत्र स्व० श्रीपाल व नरेश पुत्र स्व० मैनेजर निवासीगण ग्राम सलेमपुर, अलीरजा जनपद सीतापुर थाना देहात कोतवाली को बतौर जामिनान प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित जमानत आदेश दिनांकित 02.08.2025 में स्थानीय जमानती की शर्त का विलोपन याचित किया गया है। चूंकि आवेदक अभियुक्त राहुल उर्फ काला पिन्टू पुत्र मुन्नालाल जनपद मेरठ का मूल निवासी नही है अपितु वह ग्राम सलेमपुर अली रजा थाना देहात कोतवाली जनपद सीतापुर का मूल निवासी है एवं जनपद मेरठ में उसका कोई परिचित अथवा रिश्तेदार निवास नही करता है तथा न ही वह किसी को जानता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितयों के दृष्टिगत न्यायालय के मत में माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition No.(Criminal) 04/2021 में पारित निर्देशों दिनांक 31.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में यह उचित होगा कि प्रश्नगत जमानत की शर्तो को शिथिल कर दिया जाए। तद्नुसार प्रश्नगत फौजदारी विविध प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3 ख न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक राहुल उर्फ काला उर्फ पिन्टू पुत्र मुन्नालाल निवासी सलेमपुर अलीराजा थाना देहात कोतवाली, सीतापुर की ओर से मु०अ०सं०- 55 सन् 2023 धारा- 399, 402, 411, 414 भा०द०स० व धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ में प्रस्तुत दाण्डिक विविध प्रार्थना पत्र सं०-257 सन् 2026 स्वीकार किया जाता है जमानत आदेश दिनांकित 02.08.2025 में अधिरोपित स्थानीय प्रतिभूगण की शर्त का विलोपन किया जाता है।

आवेदक को ₹ 50,000-50,000/- रूपये के **02** विश्वसनीय जमानती व समान धनराशि का निजी प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर **सत्यापन के पश्चात** दौरान विचारण पूर्व में पारित जमानत आदेश दिनांकित 02.08.2025 के अनुक्रम में जमानत पर रिहा किया जाए, **किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रतिभूगण की आर्थिक स्थिति बंधपत्र की धनराशि को संतुष्ट करने योग्य होनी चाहिए।**

दिनांकः 16-03-2026

(मोहम्मद असलम सिद्धीकी)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 1
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.